

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-3A/स्था०रा०से०(त्री सदस्य समिति)-10/2026.....190.....(3A)/रा० दिनांक-03-02-2026

माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC सं० 5902/2024 एवं MJC No. 2380/2025 में सरकार के पक्ष को और सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभाग के स्तर पर एक त्री सदस्य समिति का गठन किया जाता है।

2. इस समिति के सदस्य निम्न प्रकार से होंगे :-
 - (क) श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग..... अध्यक्ष
 - (ख) श्री आजीव वत्सराज, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग..... सदस्य
 - (ग) श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारीसदस्य
3. समिति के कृत :-
 - (क) बिहार राजस्व सेवा संघ द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक-24.09.2025 पर विचार।
 - (ख) बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन पर विचार।
 - (ग) राजस्व सेवा का DCLR/ADM पद तैनाती की उपयुक्ता एवं प्रतिशत (अनुपात) विभाजन (राजस्व सेवा बनाम प्रशासनिक सेवा)
 - (घ) अन्य सूसंगत तथ्यों पर विचार।
4. यह समिति का मुख्यालय सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यालय रहेगा।
5. समिति का कार्य करने हेतु शनिवारों को विभाग में उपलब्ध कमरों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
6. इस कार्य में अनुलिपिकीय सहयोग (Secretariat Assistance) विभाग में पदस्थापित आशुलिपिक (Short hand ज्ञाता) देंगे।
7. उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त मानदेय अनुमान्य नहीं होगा परन्तु यह कि चूकि यह साधारण कृत (Normal Duty) के अन्य कार्य है अतः नियमानुसार दैनिक भत्ता देय होगा।
8. समिति प्रतिवेदन दिनांक-31.03.2026 तक समर्पित करेंगी।
9. विभागीय स्तर पर त्री सदस्य समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रेतर पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव